

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13/4/2026 पत्रावली गेडा हुई | विपरी (1) की वाद
तामील व विपरी (2) की रजिस्टर्ड डाकु
की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे संलग्न
पत्रावली किया गया | विपरीगणों को
3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु
कोई उपस्थित नहीं हुआ | समस्त
विपरीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश
मारित किए गए | पत्रावली में आदेश
मारित किए गए | पत्रावली में आदेश
पालनार्थ तहसील्दार बिजौलियाँ को
लिखा जावे | पत्रावली नम्बर से उम
होकर दायित्व दफ्तर है |



उ
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-बीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 92/2026

तारीख दायर - 9/3/2026

1. कन्हैयालाल पिता जीतमल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
2. नर्बदा पिता जीतमल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
3. पुष्पा पिता जीतमल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
4. शांती जीतमल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भु लाल पिता प्यारा जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी कांस्या तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज.
2. प्रभुलाल पिता देवी लाल जी उम्र वयस्क जाति कलाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक :- 13/4/2026

प्रार्थनापत्र प्रार्थी कन्हैयालाल ने जरिये अभिभाषक श्री दिपक मीणा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का तिलस्वां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 10 पर स्थित आराजी संख्या 5 कुल किता 1 रकबा 2.1286 हैक्टेयर भुमि,, स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम मौजा ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का तिलस्वां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 10 पर स्थित आराजी संख्या 5 कुल किता 1 रकबा 2.1286 हैक्टेयर भुमि, की बशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 42/2026

तारीख दायर - 9/3/2026
तारीख फैसल - 13/4/2026

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 72/2026

प्रत्थरगढी बाबत् ।

1. कन्हैयालाल पिता जीतमल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
2. नर्बदा पिता जीतमल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
3. पुष्पा पिता जीतमल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
4. शांती जीतमल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भु लाल पिता प्यारा जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी कांसया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज.
2. प्रभुलाल पिता देवी लाल जी उम्र वयस्क जाति कलाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का तिलस्वां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांसया तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 10 पर स्थित आराजी संख्या 5 कुल किता 1 रकबा 2.1286 हैक्टेयर भूमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जाारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कांसया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड/अधिकारी
बिजौलियाँ